टीपें एवं आज्ञाऐं हेतु

मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी

महोदय,

कृपया नोट शीट के पृष्ठ संख्या–02 में गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उपरोक्त समिति की प्रथम बैठक हेतु दिनांक, समय तथा स्थान निर्धारित करने का कष्ट करें।

15/2/21

सहायक अभियन्ता
लघु सिंचाई
बागपत

19.2.21
CDO
बागपत

(अभिराम त्रिवेदी)
मुख्य विकास अधिकारी
बागपत

दिनांक → 20/2/2021
समय → 3:30 pm
स्थान → कलेक्ट्रेट सभागार

19/02/21

मुख्य विकास अधिकारी

महोदय,

दिनांक 20.02.2021 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त का पत्रालेख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

22/2/21

सहायक अभियन्ता
लघु सिंचाई
बागपत

22.2.21
CDO
बागपत

मूल प्रति

जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में दिनांक–20.02.2020 को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन की आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1. श्री राज कमल यादव, जिलाधिकारी, बागपत।
2. श्री अभिराम त्रिवेदी, मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
3. श्री हुबलाल, जिला विकास अधिकारी, बागपत।
4. इं0 रवीन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बागपत।
5. श्री राघवेन्द्र सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत।
6. इं0 विपिन कुमार त्यागी, प्रभारी सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, बागपत।
7. श्रीमति स्मृति अवस्थी, खण्ड विकास अधिकारी, बागपत।
8. श्रीमति सोनिका चौधरी खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना।
9. श्री संजय, प्रतिनिधि,जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
10. श्री राहुल भाटी, जिला सूचना अधिकारी, बागपत।
11. श्री दिनेश कुमार अरूण, जिला उद्यान अधिकारी, बागपत।
12. इं0 आर0पी0सिंह, सहायक अभियन्ता, जल निगम, बागपत।
13. इं0 मूलचन्द, सहायक अभियन्ता, जल निगम, बागपत।
14. इं0 अविनाश गुप्ता, सहायक अभियन्ता, जल निगम, बागपत।
15. श्री मुन्ना सिंह, प्रतिनिधि मै0 एल0सी0 इन्फा0 अहमदाबाद।
16. श्री दीपक, मैनेजर, मै0 एल0सी0 इन्फा0 अहमदाबाद।
17. श्री सुरेशचन्द्र शुक्ला, अध्यक्ष आर0एम0ई0सोसायटी (इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी),
18. डॉ0 संजय यादव, प्रतिनिधि ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा (इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)
19. श्री शैलेश कोटरू प्रतिनिधि ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा (इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)
20. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी टीम लीडर आर0एम0ई0सोसायटी (इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)
21. श्री कृष्णपाल सिंह, जल प्रबन्धन कार्यकर्ता।
22. श्री देवेन्द्र धामा, सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यकर्ता।
23. श्री विरेन्द्र सिंह, सामुदायिक विकास कार्यकर्ता।

जिलाधिकारी महोदय, बागपत द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–2100/. छिहत्तर–1–2020–9 सम/ 2005 टी0सी0–5, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, दिनांक–04.11.2020 के द्वारा शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं हेतु लघु सिंचाई विभाग को नोडल नामित किया गया है।
2. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बागपत द्वारा अवगत कराया गया कि 51 रैट्रोफिटिंग प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त परियोजनाओं को 31.03.2021 तक पूर्ण करने तथा जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति से समस्त योजनाओं की जांच/सत्यापन करने के निर्देश दिये गये। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बागपत द्वारा अवगत कराया गया कि एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्माणाधीन मार्ग के कारण ग्राम डौला विकास खण्ड–पिलाना की परियोजना का कार्य 31.03.2021 तक पूर्ण होना सम्भव नही है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बागपत द्वारा अवगत कराया गया कि सम्पूर्ण जनपद में गुणवत्ता प्रभावित पेयजल योजनायें शून्य हैं।

3. अधिशासी अभियन्ता जल निगम, बागपत को निर्माणाधीन 30 पाईप पेयजल योजनाओं को भी दिनांक– 31.03.2021 तक पूर्ण कर ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बागपत द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम रठौडा की पेयजल योजना पर धन उपलब्ध न होने के कारण दिनांक–31.03.2021 तक पूर्ण नही किया जा सकता।

4. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा अवगत कराया गया कि **मै0एल.सी.इन्फा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी.सी.ई.एल. जे.वी. 409 इस्कॉन ऐलिगेन्टस,निकट जैन मन्दिर प्रहलाद नगर,कॉसिंग रोड, एस.जी. हाइवे,अहमदाबाद** को शासन स्तर से जनपद बागपत में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सूचीबद्व/नामित किया गया है। जनपद की पुनर्गठन पेयजल परियोजनायें, गुणवत्ता प्रभावित परियोजनायें एवं जनपद के अवशेष आबाद ग्रामो में पेयजल परियोजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण किया जायेगा। तत्पश्चात डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्यवाही की जायेगी। धनराशि रू 2.00 करोड लागत की परियोजनाओं का जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वीकृति/अनुमोदन होगा, तथा इसके पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। धनराशि रू 2.00 करोड से अधिक लागत की परियोजनाओं का राज्य पेयजल समिति द्वारा स्वीकृति/अनुमोदन होगा इसके उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। समस्त परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त 10 वर्षो तक अनुरक्षण कार्य/देख–रेख करने का प्राविधान भी नामित फर्म द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि तत्काल खण्ड विकास अधिकारियों के स्तर पर पाईप पेयजल योजनाओं की स्थलीय स्थिति के अनुसार प्रस्तावित ग्रामों की सूची तैयार कर ली जाये। यह प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप संलग्न किया जाये कि उक्त विकास खण्ड में कोई भी ग्राम/मजरा पेयजल योजनाओं के आच्छादन से अवशेष नही है। यह कार्य जिला विकास अधिकारी, अपने स्तर से समस्त खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुये तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ताकि सूचीबद्ध/नामित फर्म को शासन की मन्शा के अनुरूप जनपद बागपत की प्रस्तावित पाईप पेयजल परियोजनाओं हेतु ग्रामों की सूची अविलम्ब हस्तगत कराई जा सकें।

उक्त सूची निम्नखित प्रारूप पर ग्रामों के नाम सहित तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्र0 सं0	विकास खण्ड	विकास खण्ड में कुल आबाद ग्राम/मजरो की संख्या 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	विकास खण्ड में वास्तविक आबाद ग्रामों/मजरो की संख्या	जल निगम द्वारा पूर्व में निर्मित योजनाओं की संख्या जिनका रेट्रोफिटिंग/पुनर्गठन किया जाना है		जल निगम द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओ की संख्या	अवशेष ग्रामों/मजरों की संख्या	कुल योग (5+6+7+8)
				रेट्रोफिटिंग	पुनर्गठन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. जिलाधिकारी महोदय, बागपत द्वारा मै0 एल0सी0 इन्फा0 को निर्देशित किया गया कि जनपद बागपत के ग्रामों की सूची प्राप्त करने के उपरान्त 45 दिन में समस्त डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति के अनुमोदानार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि जनपद बागपत में पुनर्गठन हेतु भूमि की उपलब्धता की दशा में तत्काल सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय। जल जीवन मिशन की योजनाओं में भूमि आवंटन एवं सूचीबद्व/नामित फर्म को ग्रामों में आने वाली सम्भावित कठिनाईयों के निराकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की ओर से एक पत्र अपर जिलाधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारियों /समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को जारी किया जायें।

6. भारत सरकार द्वारा हर घर नल से जल के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्व पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने एवं योजनाओं के कियान्वयन हेतु जनपद में 2 इम्प्लीमेन्टशन सर्पोट

एजेन्सी का शासन स्तर से चयन किया गया है। जनपद में कुल 06 कलस्टर प्रस्तावित है। 40 ग्राम पंचायतों के समूह का एक कलस्टर मानते हुये ग्रामीण विकास ट्रस्ट को 04 कलस्टर तथा आर0एम0ई0 सामुदायिक बाल विकास सोसाईटी को 02 कलस्टर आवंटित करने के निर्देश दिये गये। इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि वे हर घर नल योजना हेतु ग्रामों में जाकर ग्रामवासियों को जल-जन जागरूकता का कार्य विभिन्न माध्यमों से करेंगें। परियोजना की 10 प्रतिशत जनसहभागिता की धनराशि के एकत्रिकरण हेतु भी ग्रामवासियों को जागरूक करेगें। जिलाधिकारी द्वारा उक्त आई0एस0ए0 एजेन्सियों के प्रतिनिधियों को विस्तृत वार्ता के उपरान्त निर्देशित किया गया कि वें अपनी कार्ययोजना तत्काल प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक संस्था एक ग्राम को मॉडल के रूप में विकसित करते हुए अपना कार्य तत्काल प्रारम्भ करें, ताकि सूचीबद्ध/नामित फर्म को सर्वेक्षण कार्य के समय कम से कम कठिनाई हों। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला विकास अधिकारी, बागपत को यह भी निर्देशित किया गया कि जल निगम द्वारा पूर्व में निर्मित पाईप पेयजल योजनाओं से जल कर की वसूली रू0 50.00 प्रति माह प्रति कनेक्शन की दर से कराना सुनिश्चित करें ताकि परियोजना का संचालन एवं अनुरक्षण भली-भांति हो सकें।

7. जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद स्तरीय नामित तकनीकि समिति द्वारा जल निगम की रेट्रोफिटिंग/निमार्णाधीन परियोजनाओं के सत्यापन/जाँच के समय निम्न बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से आख्या देना सुनिश्चित करे।
   (अ) कनेक्शन की संख्या।
   (ब) अन्तिम बिन्दु तक नल/FHTC है या नही।
   (स) पेयजल पाइप की गहराई भूतल से 01मी0 है या नही।
   (द) पेयजल पाइप का व्यास क्या है ?
   (य) पाइप पेयजल योजना कियाशील है या नही।

8. श्री कृष्णपाल सिंह, जल प्रबन्धन एवं पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा बैठक में अपने विचार व्यक्त किये गये कि जनपद बागपत में भूगर्भ जल के दोहन को रोकने के लिये ग्रामीणों के व्यवहार परिवर्तन (Behaviour Changing) की आवश्यकता है। इसके लिये जनपद के समस्त विद्यालयों में प्रार्थना के समय जल संरक्षण की महत्ता से छात्रों को अवगत कराया जायें ताकि जल संरक्षण के अति महत्वपूर्ण विषय को छात्रों के संस्कारो में सम्मिलित किया जा सके। जिलाधिकारी महोदय द्वारा श्री कृष्णपाल सिंह को उक्त विषय में जल संरक्षण हेतु एक सारगर्भित आलेख तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उक्त का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त श्री कृष्णपाल द्वारा डी0सी0 एन0आर0एल0एम0 के द्वारा जनपद के समस्त स्वयं सहायता समूहो की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ जल साक्षरता के विषय में अवगत कराने/प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया गया। जिला कार्यकम अधिकारी के द्वारा भी जनपद की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं को जल संरक्षण के विषय में प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया गया। ताकि वे स्वयं जागरूक होकर जनमानस में जल संरक्षण का प्रचार-प्रसार/जल जन जागरूकता का कार्य कर सके।

9. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ0प्र0 के पोर्टल पर जनपद बागपत में पुनर्गठन हेतु (27)नग परियोजनाये, गुणवत्ता प्रभावित (13)नग परियोजनायें एवं अन्य (159) ग्राम के कार्य हेतु फर्म का नामित/सूचीबद्ध किया गया। जल जीवन मिशन की वर्चुएल बैठक में जनपद बागपत के समस्त अवशेष ग्रामों में पाइप पेयजल योजना प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये। चूंकि जनपद का कोई भी ग्राम/मजरा प्रस्तावित पाइप पेयजल योजना से वांछित नही रहेगा। अतः शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकता का पालन जनपद बागपत में हो रहा है।